



1337

समक्ष : माननाय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश गवालियर (म0प्र0)

प्रकरण, क

/ 2016 पुनर्विलोकन

दिनांक - ७२७१- I - 16

द्वारा आज दि. ११.१.६. प्रस्तुत

*मूलक आपूर्ति कोटि १६
राजस्व मण्डल म.प्र. गवालियर*

कैलाश पुत्र धन्न जाति कीर निवासी ग्रम सामरसा
तहसील श्योपुरकलां जिला मुरैना

.....आवेदक / निगरानीकर्ता
विरुद्ध

- निरंजराव पुत्र श्री. लक्ष्मणराव ब्रह्मण निवासी
श्योपुरकलां जिला मुरैना
- म0प्र0 शासन।

.....अनावेदकगण

पुनर्विलोकन याचिका अन्तर्गत म.प्र. भू-राजस्व सहिता, 1959 की धारा 51 के
तहत निगरानी 05/पांच/1996 मे पारित आदेश दिनांक 19.1.2016 को
पुनर्विलोकन किये जाने वावत।

श्रीमान जी,

आवेदक की ओर से आवेदन पत्र निम्नानुसार है। :-

प्रकरण के संक्षेप तथ्य

- यहकि, प्रकरण का सक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अनावेदक क 1 नि निरंजन राव द्वारा तहसीलदार श्योपुरकलां के समक्ष संहिता की धारा 190/110 के अंतर्गत आवेदन पेश कर ग्रम सामरसा की पर नामांतरण किये जाने हेतु आवेदन पत्र दिया जिस पर से प्रकरण दर्ज किया जाकार वगैर इश्तहार जारी किये वगैर आवेदक को सुने मनमाने पूर्ण तरीके से अनावेदक के पक्ष में 17.1.92 से नामांतरण कर दिया गया। इस विवादित नामांतरण आदेश को अपर कलेक्टर ने नायव तहसीलदार के आदेश को स्वयम निगरानी मे लेकर दिनांक 5.6.95 से तहसीलदार का विवादित नामांतरण आदेश निरस्त कर दिया गया जिस अपर कलेक्टर महोदय के आदेश के विरुद्ध अनावेदक क 1 द्वारा अपर आयुक्त चबंल संभाग गवालियर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई जो भी निरस्त की गई दोनो अधिनस्थ न्यायालय अपर कलेक्टर श्योपुर एंव अपर आयुक्त चबंल संभाग गवालियर के आदेश आवेदक के पक्ष मे हुये उसके बाद अनावेदक क 1 ने राजस्व मण्डल म.प्र. गवालियर के समक्ष निगरानी 05/पांच/1996 प्रस्तुत की गई जिस निगरानी मे आवेदक पक्ष को वगैर सुने व सूचना दिये वगैर एक पक्षिय रूप से सुनवाई की जाकर अनावेदक क 1 के पक्ष मे विवादित आदेश दिनांक 19.1.2016 पारित करते हुये निगरानी स्वीकार की गई जिस के विरुद्ध पुनर्विलोकन आवेदन प्रस्तुत है। जिसमें सफलता मिलने की पूर्ण संभावना है।

आधार

- यह कि, आलोच्य आदेश अवैध अनुचित अव्यवहारिक अनियमित, असंगत, एवं क्षेत्राधिकार के विपरीत पारित होने से पुनर्विलोकन किये जाने योग्य है
- यह कि, आवेदक को वगैर सुने व वगैर सूचना पत्र जारी किये आवेदक को एक पक्षिय करते हुये आदेश पारित किया गया है जिससे आवेदक न्याय से विचित हो गया है आवेदक के पक्ष मे दोनो अधिनस्थ न्यायालय के आदेश है।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश—ग्वालियर

अनुवृति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक रिव्यु -2221-एक / 16

जिला —मुरैना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेष	पक्षकारों अभिभाषकों आदि हस्ताक्षर
15.5.17	<p>आवेदक के अधिवक्ता श्री सुनील सिंह जादौन उपस्थित। आवेदक के अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में तर्क प्रस्तुत किये। अवेदक के अधिवक्ता द्वारा रिव्यु प्रकरण में प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया।</p> <p>2— यह रिव्यु आवेदन पत्र इस न्यायालय के प्रकरण क्रमांक निगरानी 5—पांच/96 में पारित आदेश दिनांक 19.1.16 के विरुद्ध प्रस्तुत पुनर्विलोकन प्रकरण क्रमांक 2221—एक/16 के तथ्यों पर आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने गये।</p> <p>4— आवेदक के अधिवक्ता की ओर से पुनर्विलोकन आवेदन में उन्हीं तथ्यों को दोहराया गया है जो प्रकरण क्रमांक निगरानी 5—पांच/96 में वर्णित हैं। जिनका निराकरण आदेश दिनांक 19.1.16 से किया जा चुका है।</p> <p>5— रिव्यु प्रकरण क्रमांक 2221—एक/16 म0प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 में पुनर्विलोकन में जो आधार बताये गये हैं उनके विद्यमान होने पर ही आवेदन स्वीकार किया जा सकता है :—</p> <p>अ— नई एवं महत्वपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जो उस समय</p>	

जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक तत्परता के पश्चात भी नहीं मिल पाई थी।

ब—अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती।

स— कोई अन्य पर्याप्त कारण।

आवेदक ने रिव्यु का जो आवेदन प्रस्तुत किया है, उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता है इसलिये इस रिव्यु आवेदन में कोई ठोस आधार नहीं होने से यह रिव्यु प्रकरण अग्राह्य किया जाता है। उभयपक्ष सूचित हों।
प्रकरण दा० द० हो। राजस्व मण्डल का प्रकरण अभिलेखागार में संचय हेतु भेजा जावे।



सदस्य

